

सामाजिक समाघात अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का विशेषज्ञ दल द्वारा अंकन :-

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा कलेक्टर रायगढ़ के आदेश क्र. 1365/भू-अर्जन/2018 रायगढ़ दिनांक 12/06/2018 के अनुसार धारा - 07 के द्वारा विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। इसके अनुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के आदेश क्र. क/वाचक-1/2018/648 घरघोड़ा दिनांक 14/06/2018 के आदेशानुसार दिनांक 21/06/2018 को रायगढ़ में बैठक आयोजित की गई जिसमें दल के सदस्य उपस्थित थे।

विशेषज्ञ दल के सदस्यों ने ग्राम वार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण हेतु पूर्व में गठित सामाजिक दल की रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया एवं विचार विमर्श के उपरांत विस्तृत अंकन प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

यह प्रस्तावित अधिग्रहण घरघोड़ा से तमनार कुल 12.55 कि.मी. दूरी के मार्ग के चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित है जिनमें कुल 06 ग्रामों की निजी भूमि अर्जित करने की आवश्यकता है।

(1) ग्राम-घरघोड़ा, तहसील-घरघोड़ा, के अंतर्गत आता है। यह ग्राम अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है अतः इसमें PESA (पंचायत उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, 1996) के प्रावधान लागू होते हैं। तदनुसार ग्राम में सामाजिक समाघात दल के तत्वावधान में ग्रामसभा आयोजित कर ग्रामीणों को योजना की जानकारी देते हुए उनसे प्रस्तावित भू-अधिग्रहण अधिनियम बावत् प्रभावितों की सहमति प्राप्त की गई जो कि संलग्न है। प्रभावितों की कुछ शंकाएं थी जिसका समाधान किया जा चुका है।

इस ग्राम में प्रभावित किसानों की संख्या कुल 19 खातेदार है। इनने 08 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के 0 व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं 02 व्यक्ति सामान्य वर्ग के हैं। क्योंकि यह सड़क चौड़ीकरण का प्रकरण है इसलिए प्रस्तावित अधिग्रहण का स्वरूप रेखीय (Linear) है। ऐसे प्रकरणों में भूमि का रकबा कम होता है परन्तु प्रभावितों की संख्या अधिक होती है जो कि इस बात से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित अधिग्रहण में केवल 1.426 हे. है जबकि प्रभावित होने वाले की संख्या 19 है। इसमें एक व्यक्ति के प्रस्तावित अधिग्रहण की अधिकतम सीमा 0.586 एवं न्यूनतम सीमा 0.020 हे. है। स्पष्ट ही किसी भी व्यक्ति की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि इतनी अधिक नहीं है कि उस पर विपरीत प्रभाव पड़े। प्रस्तावित अधिग्रहण से होने वाले प्रभावितों से लिए जा रहे भूमि का विवरण एवं उनके द्वारा धारित भूमि के कुल रकबे के अवलोकन से यह स्थिति भलीभांति स्पष्ट हो जाती है (संलग्न बी-1)

वर्तमान में प्रचलित मार्ग की चौड़ाई 6.00 मी. है। जिसके दोनों ओर औसतम 2-2 मी. भूमि का अधिग्रहण कर मार्ग की कुल चौड़ाई 10.00 मी. करने का प्रस्ताव है। विशेषज्ञ दल के समक्ष संबंधित नक्शा प्रस्तुत किया गया जिसमें वर्तमान मार्ग काली स्याही से दर्ज है एवं प्रस्तावित अधिग्रहण लाल स्याही से रेखांकित है। दोनों ओर समान चौड़ाई की भूमि अधिग्रहित की जा रही है अतः इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।

(सुधीर डंडेकर) (श.पी. डिवी) (K. Diwan) (R. Sharma)  
Vijay Sen. (R. Sharma)










(1) प्रस्तावित अधिग्रहण का उद्देश्य :- प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य वर्तमान प्रचलित मार्ग की चौड़ाई बढ़ाना है जो बढ़ते परिवहन/आवागमन की आवश्यकताओं को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है। यह योजना शासन के लोक निर्माण विभाग की योजना है एवं इसका उद्देश्य जनसामान्य की सुविधा को बढ़ाना है अतः यह प्रस्तावित अर्जन सद्भाविक एवं आवश्यक है। निश्चय ही प्रस्तावित अधिग्रहण से लोक अभियोजन की पूर्ति होती है।

(2) प्रस्तावित अधिग्रहण से किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति कोई क्षति नहीं हो रही है, प्रभावितों की भूमि भी बहुत कम अधिग्रहित की जा रही है जिससे उन पर कोई अत्यधिक विपरीत परिणाम पड़ने की आशंका नहीं है और प्रभावितों को नियमानुसार प्रतिकर एवं पुनर्स्थापन के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति की जा रही है फलस्वरूप इस योजना के क्रियान्वयन से होने वाले लाभ हानि की तुलना में कहीं अधिक है।

(3) चुंकि प्रचलित मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है अतः वैकल्पिक भूमि होने का प्रश्न ही नहीं उठता है साथ ही योजना अनुसार ही सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है जो न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल है।

(4) विभाग के पास पूर्व में अर्जित की गई कोई भी अनुपयोगी भूमि नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर विशेषज्ञ दल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु है। अर्जन से लाभ अत्यधिक है, हानि नगण्य है। वैकल्पिक भूमि का प्रश्न ही नहीं उठता एवं न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जो कि आवश्यक है। फलतः विशेषज्ञ दल प्रस्तावित अधिग्रहण की अनुशंसा करता है।

 (सुधीर इंद्रकर)  
 (एस.पी. दीक्षित)  
 (K. K. K. K.)  
 (श्रीमती कल्पिता शर्मा)  
 श्री. आर. कश्यप  
 प्र. लक्ष्मी लटार  
 (राधेश्यामराविका)  
 (श्रीमती लता लोनी)  
 Kuchi  
 Khanna  
 (श्री. सुनील जोशी)